/

केन्द्रीय सूचना आयोग

बाबा गंग नाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली – 110 067

CIC/AA/A/2020/48
CICOM/A/P/20/00020
CICOM/R/P/2020/00010

अपीलकर्ता का नाम: श्री मनीष कुमार
ग्राम – हरिहरपुर, पोस्ट एवं थाना – बनीयापुर,
जिला – छपरा, बिहार।

1.	आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	02.01.2020
2.	आर.टी.आई. आवेदन के जवाब की तिथि	05.02.2020
4.	केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, जिन्होंने जवाब दिया	श्री टी0 बी0 जे0 राजरप्पा, सीपीआईओ, आरटीआई सेल, सीआईसी।
3.	प्रथम अपील की तिथि	07.02.2020
5.	निर्णय की तिथि	12.02.2020

प्रथम अपील से संबंधित संक्षिप्त तथ्य:-

1. अपीलकर्ता के प्रस्तुत आरटीआई आवेदन का अवलोकन करने से यह स्पष्ट नहीं है कि प्रार्थी ने वस्तुतः केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा धारित कौन–सी सूचना की मांग की है। हालांकि प्रार्थी ने अपने आवेदन आयोग के दो डायरी क्रमांकों, संख्या 141844 और 144724 का उल्लेख किया है और इस संदर्भ में शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है।

सीपीआईओ का जवाब :-

2. उपरोक्त आर.टी.आई. आवेदन के जवाब में श्री टी0 बी0 जे0 राजरप्पा, सीपीआईओ, आरटीआई सेल, सीआईसी ने प्रार्थी को सूचना के लिए आवेदन दाखिल करने और तदोपरांत प्रथम अपील और द्वितीय अपील दाखिल करने की प्रक्रिया से अवगत कराया।

प्रथम अपील का आधार :-

O/C

3. प्रार्थी ने अपनी प्रथम अपील में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, श्री टी0 बी0 जे0 राजरप्पा, सीपीआईओ, आरटीआई सेल द्वारा प्रेषित जवाब के विरूद्ध कोई भी शिकायत नहीं की है। उन्होंने यह उल्लेख किया है कि उन्हें कथित तौर पर प्रधानमंत्री द्वारा इनामी राशि देने की घोषणा की गयी थी, जो उनके मानवाधिकार से भी जुड़ा है और यह आग्रह किया है कि उनके इनामी राशि में से उन्हें 10 हजार रूपये की मदद की जाए, ताकि वे अपनी स्थिति में सुधार कर सकें।

सीपीआईओ की टिप्पणी:

4. प्रार्थी के प्रस्तुत प्रथम अपील का निस्तारण करने के लिए प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा श्री टी0 बी0 जे0 राजरप्पा, सीपीआईओ, आरटीआई सेल से टिप्पणी की मांग की गयी। सीपीआईओ ने अपनी टिप्पणी में यह अवगत कराया है कि आवेदक ने अपने आरटीआई आवेदन

के. सू. आ.
RECEIVED
13 FEB 2020
D. No.
Initials.

से उल्लेख नहीं किया गया है कि आवेदक को केन्द्रीय सूचना आयोग से कौन–सी सूचना चाहिए। फिर भी आवेदन में उल्लिखित तथ्यों की पुनः पड़ताल की गयी। आवेदन में उल्लखित दो डायरी क्रमांकों, 141844 और 144724, जिनका वर्ष भी उल्लखित नहीं है और जो प्रार्थी द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग को प्रेषित प्रपत्रों के संदर्भ में दर्ज है, यह पाया गया कि डायरी क्रमांक 141844 के संदर्भ में प्रार्थी के नाम से एक द्वितीय अपील संख्या CIC/DEPOL/A/2019/141844 आयोग में दर्ज की गयी है तथा दूसरे डायरी क्रमांक 144724 से संबंधित प्रपत्र को उक्त द्वितीय अपील के साथ संलग्न कर दिया गया है। इस संदर्भ में प्रार्थी को दिनांक 12.02.2020 को एक पुनरीक्षित जवाब भी प्रेषित कर दिया गया है।

निर्णय :-

5. प्रथम अपील प्रपत्र, आरटीआई आवेदन और सीपीआईओ के जवाब का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने वस्तुतः अपने आरटीआई आवेदन के माध्यम से आयोग द्वारा धारित किसी सूचना की स्पष्ट मांग नहीं की है, बल्कि उन्होंने अपने आवेदन में विभिन्न लोक प्राधिरियों से किए गए पत्र–व्यवहार का हवाला देते हुए उस संदर्भ में आयोग से शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। यहां यह उल्लेख प्रासंगिक होगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय सूचना आयोग एक द्वितीय अपीलीय अधिकरण है, जिसका कार्य किसी अपीलकर्ता द्वारा आयोग को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रेषित द्वितीय अपीलों का विचारण करते हुए संबंधित केन्द्रीय प्राधिकरण से सूचना प्रदान करवाना मात्र है। किसी अन्य शिकायत का समाधान इस आयोग के कार्यक्षेत्र से परे है। बहरहाल, प्रार्थी को उनके आवेदन में उल्लिखित दो डायरी क्रमांकों से संबंधित प्रपत्रों पर आयोग द्वारा की गयी कार्रवाई की सूचना प्रदान कर दी गयी है कि तथा यह भी अवगत करा दिया गया है प्रार्थी की द्वितीय अपील पर समय आने पर कार्रवाई की जाएगी। अतः प्रथम अपीलीय अधिकारी की तरफ से प्रस्तुत मामले में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. उपरोक्तानुसार प्रस्तुत अपील निस्तारित की जाती है।

7. यदि अपीलकर्ता प्रस्तुत निर्णय से असंतुष्ट हैं और चाहते हैं, वो केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली–110 067 के समक्ष इस निर्णय के विरूद्ध 90 दिनों के अंदर द्वितीय अपील दाखिल करने के लिए स्वतंत्र हैं।

दिनांक : फरवरी 12, 2020

मीना शर्मा 12/2/2020

(श्रीमती मीना बी० शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष : 26162290

प्रतिलिपि :-

1. सी.पी.आई.ओ., आर.टी.आई. सेल, सीआईसी, नई दिल्ली।

Recd on 13/2/20